इससे पहले माननीय जवाहर लाल गुप्ता, जे.

मोहन लाल वोहरा- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और- *उत्तरदाता*

सी. *डब्ल्यू.* पी. सं. 10391 of 1990

14 नवंबर, 1991

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227- शिक्षक *को 'बी' श्रेणी दी गई— ग्रेडिंग* को *घटाकर औसत से नीचे कर दिया गया- रिपोर्टों की डाउन ग्रेडिंग-ऐसी रिपोर्ट के आधार पर* पूर्व- परिपक्व *सेवानिवृत्ति की वैधता।*

यह अभिनिर्णित किया गया कि एक बार जब याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन 'अच्छा' या 'बहुत अच्छा' के रूप में किया जाता है, तो इसे केवल परिणामों के आधार पर कम नहीं किया जा सकता है।एक विद्यालय के समग्र परिणाम न केवल अन्य शिक्षकों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं बल्कि छात्रों की क्षमता पर भी। निश्चित रूप से, एक शिक्षक को अकेले पीड़ित नहीं किया जा सकता है, भले ही स्कूल के परिणाम अपेक्षित मानकों के अनुरूप न हों। मामले के समग्र विचार पर, याचिकाकर्ता को 'मृत लकड़ी' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जिसे काटने की आवश्यकता हो सकती है।

एस. पी. लालर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता *के लिए।*

जे. जी. स्वापत *सिंह, हरियाणा राज्य के लिए अधिवक्ता* (उत्तरदाता),

न्याय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता यहाँ अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश से व्यथित है। 5 अगस्त, 1933 को उनका जन्म हुआ था। वे 23 नवंबर, 1959 को मास्टर के रूप में सेवा में शामिल हुए। इनको वर्ष 1964 में लेक्चरर के रूप में और उसके बाद नवंबर, 1970 में हेडमास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। 30 सितंबर, 1988 को उन्हें 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का तीन महीने का नोटिस दिया गया था। इस आदेश से व्यथित होकर उन्होंने विद्यालय शिक्षा निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता को अपना प्रतिनिधित्व तय किए बिना 29 दिसंबर, 1988 को अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। नतीजतन यह याचिका।

(2) याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उनके पूरे कार्यकाल के दौरान सभी पदोन्नति नियत तिथि पर दी गई थी। प्रधानाध्यापक के रूप में उनके लगभग 18 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं थी। उन्हें समय

पर दक्षता सीमा पार करने की अनुमति दी गई। इन तथ्यों के बावजूद, उन्हें मनमाने ढंग से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

(3) प्रतिवादी की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है। लिखित बयान में, याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड का सारांश प्रस्तुत किया गया है। यह निम्नानुसार हैः—

ए	नहीं। वर्ष	श्रेणीकरण	परिणाम	समग्र श्रेणीकरण
1.	1977-78	बी.	टू माइनस वन प्लस।	बिलो एवरेज।
2.	1978-79	+ बी.	टू प्लस दो माइनस।	अच्छा है।
3.	1979-80	+ बी.	थ्री प्लस वन माइनस।	अच्छा है।
4.	1980-81	+ बी.	दो माइनस वन प्लस।	औसत
5.	1981-82	+ बी.	थ्री माइनस वन प्लस।	औसत से नीचे
6.	1982-83	+ बी.	सभी माइनस	औसत कम करें
7.	1983-84	+बी.	सभी माइनस	औसत से नीचे
8.	1984-85	ए.	सभी माइनस	बहुत अच्छा है।
9.	1985-86	ए.	ऑल प्लस	बहुत अच्छा है।
10	1986-87	ए.	टू प्लस वन माइनस।	बहुत अच्छा है।
.				

(4) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1977-78 के लिए 'बी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्हें 1978-79 से 1983-84 तक की अवधि के लिए + B के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्हें 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्कूल के परिणामों को देखते हुए उनकी समग्र ग्रेडिंग को कम कर दिया गया है। नतीजतन, उनकी समग्र श्रेणीकरण को 1977-78 और 1981-82 से 1983-84 के लिए 'औसत से नीचे' कर दिया गया। उन्हें 1978-79 और 1979-80 में 'अच्छा' की श्रेणी दी गई है। इसके अलावा उनके प्रदर्शन को 1984-85 से 1986-87 तक के वर्षों के लिए 'बहुत अच्छा' श्रेणीबद्ध किया गया है। लिखित बयान में आगे यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित प्रभाव के लिए वर्ष 1978-79 के लिए एक प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई थीः—

"व्यक्तिगत और सामान्य टिप्पणियों में सुधार की आवश्यकता है।" यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की जांच की गई थी और उसे खारिज कर दिया गया था।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिश पाल लालेर ने दो तरह का तर्क दिया है।वह प्रस्तुत करता है कि स्कूल के परिणामों के आधार पर याचिकाकर्ता की समग्र श्रेणीकरण को कम करने में प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना है।उन्होंने

आगे कहा है कि उनकी सेवा के रिकॉर्ड के आधार पर भी, याचिकाकर्ता को 'मृत लकड़ी' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इस तरह समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पूरी तरह से मनमाना और अनुचित था।

(6) याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड के सारांश पत्रक की जांच करने पर, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं पाता हूं कि उसका प्रदर्शन 'अच्छा' से 'बहुत अच्छा' तक के दायरे में पाया गया था। इसे केवल स्कूल के परिणामों के आधार पर डाउनग्रेड किया गया था। यह न तो प्रमाणित किया गया है और न ही अभिलेख से दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता को उनकी रिपोर्टों के डाउनग्रेडिंग के बारे में सूचित किया गया था। इसके अलावा, मेरा यह भी विचार है कि एक बार जब याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन 'अच्छा' या 'बहुत अच्छा' के रूप में किया जाता है, तो इसे केवल परिणामों के आधार पर कम नहीं किया जा सकता है।एक विद्यालय के समग्र परिणाम न केवल अन्य शिक्षकों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं, बल्कि छात्रों की क्षमता पर भी निर्भर करते हैं। निश्चित रूप से, एक हेडमास्टर से बहुत कम अकेले एक शिक्षक को पीड़ित नहीं किया जा सकता है, भले ही स्कूल के परिणाम अपेक्षित मानकों के अनुरूप न हों। मामले के समग्र विचार पर, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को 'मृत लकड़ी' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जिसे काटने की आवश्यकता हो सकती है।

तदनुसार, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और विवादित आदेश को रद्द करता हूं। याचिकाकर्ता को सेवा में बना हुआ माना जाएगा और वह सभी परिणामी राहतों का हकदार होगा चूंकि याचिकाकर्ता अगस्त 1991 में पहले ही 58 वर्ष की आयु को पार कर चुका है, इसलिए वह बहाली का कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार होगा, जिसका आकलन रु 2, 000।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)